उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

01/9/25	वकील प्रार्थी उप.। प्रकरण पत्रावली [illegible]। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11/9/25 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)
11/9/25	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप.। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] का वाद-पत्र मुताबिक [illegible] के [illegible] किया जाता है। [illegible] निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

[illegible]

—: निर्णय :—

11.09.2025 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। आराजी खसरा नम्बर 162 रकबा 0.32 है0 ,458 रकबा 0.11 है.,465 रकबा 0.10 है0, 482 रकबा 0.12,544 रकबा 0.07 है0 ,550 रकबा 0.36 है0 ,551 रकबा 0.25 है0,60 रकबा 0.04 है0 ,667 रकबा 0.20 है0 672 रकबा 0.26 है0 ,684 रकबा 0.46 है0 686 रकबा 0.55 है0,73 रकबा 0.20 है. कुल किता 13 कुल रकबा 3.04 है. वाके ग्राम खेडकी में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/10 ,1/10 हिस्सा है जिस पर वे संयुक्त रू० से काबिज होकर काश्त कर रहे है जो आराजी इस वाद पत्र में विवादित आराजी है। प्रतिवादी 1 व 2 खुंखार व लडाकु किश्म के व्यक्ति है जो जो आराजी का बिना बंटवारा करवाये ही अच्छी–अच्छी आराजी का बेचान करना चाहते है व मौके पर अच्छी आराजी का पक्का निर्माण कार्य कर मौके की सूरत बदलना चाहते है। दिनांक 13.08.2022 को वादी अपने हिस्से की आराजी पर फसल की देखभाल करने गया तो वहा पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के साथ कुछ अजनबी व्यक्तियों को आराजी के बेचान बाबत बातचीत करते हुए सुना वादी ने उसको बाद अपने हिस्से में आयी आराजी का बेचान कर लेना तो उन्होने वादी को जान से मारने की धमी दी व बिना बंटवारा करवाये ही आराजी को बेचान करने व पुख्ता निर्माण कार्य की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण ने बिना बंटवारा करवाये आराजी का बेचान कर दिया व मौके पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया तो वादी सदा के लिए अपने हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा इस लिए न्यायालय के माध्यम से विधिवत रूप से आराजी का विभाजन करवाने व प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबंद करवाने के लिए न्यायालय श्रीमान में यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री तकासमा पारित कर आराजी हाल नम्बर 162 रकबा 0.32 है0 ,458 रकबा 0.11 है. ,465 रकबा 0.10 है0, 482 रकबा 0.12, 544 रकबा 0.07 है0 ,550 रकबा 0.36 है0 ,551 रकबा 0.25 है0,60 रकबा 0.04 है0 ,667 रकबा 0.20 है0 672 रकबा 0.26 है0 ,684 रकबा 0.46 है0 686 रकबा 0.55 है0,73 रकबा 0.20 है. कुल किता 13 कुल रकबा 3.04 है. वाके ग्राम खेडकी का विधिवत तकासमा किया जाकर मौके पर कुर्रे कायम कर उसके 1/2 भाग की अलग से जमाबन्दी कर अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी का खातेदार वादी

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपुतली–बहरोड़)

को घोषित किया जावे व 1/2 भाग की अलग से खाताबंदी कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को घोषित किया जावे। इसी प्रकार का अमल राजस्व रिर्कोड में करवाया जावें।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 की ओर से जवाब दावा एवं राजीनामा दिनांक 21.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। जिसे बाद राजीनामा को तस्दीक किया गया।

हमारे द्वारा वकुलाया की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी ने यह वाद पत्र विवादित आराजी को मौके पर तकसीम करवाये जाने बाबत वाद पत्र पेश किया गया है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान ने आपसी सहमति से अपनी अपनी सोलियत के अनुसार हिस्से में आई आराजी का विभाजन कर राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। जिस सूरत में हम तदानुसार वादपत्र में वर्णित आराजी का राजीनामा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तकासमा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा इस निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

1. आराजी खसरा नम्बर 684 रकबा 0.46 है. में से तरफ उत्तर का 0.23 है.,686 रकबा 0.55 है. में से तरफ दक्षिण का 0.17 है. 458 रकबा रकबा 0.11 है. में से तरफ पूर्व का 0.06 है., 667 रकबा 0.20 है0,465 रकबा 0.10 है0 ,482 रकबा 0.12 है0,162 रकबा 0.32 है, 544 रकबा 0.07 है, 551 रकबा 0.25 है, सम्पूर्ण हिस्सा वादी विजय कुमार की खातेदारी में रहेगा।
2. आराजी हाल खसरा नं. 684 रकबा 0.46 है. में से तरफ दक्षिण का 0.23 है., 686 रकबा 0.55 है में से तरफ उत्तर का 0.38 है., 458 रकबा 0.11 है. में से तरफ पश्चिम का 0.05 है., 73 रकबा 0.20 है. 672 रकबा 0.26 है., 60 रकबा 0.04 है., 550 रकबा 0.36 है. का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के खातेदारी, हक व हिस्से में रहेगा।
3. तहसीलदार बहरोड़ को इसी कदर हाल भू–अभिलेखक को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

आज दिनांक 11.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)